

## प्रेस नोट दिनांक 21.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

### थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, मारपीट व जानलेवा हमले के मुकदमे में 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों के थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लोनी नदी के पुल के वायें तरफ बने मन्दिर के पास से क्रिया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम पियारे का पुरवाँ सराय लोहंगराय थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। दिनांक 20.06.2026 को वादी अपने भाई नसीम के साथ कार से घर जा रहा था। प्रधान ढाबा के पास मुख्य हाईवे पर एक क्षतिग्रस्त वाहन खड़ा था, वादी द्वारा सहायता हेतु रुकने पर सामने से एक अन्य वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद शुरू कर दिया गया तथा गाली-गलौज व मारपीट की गई। आरोपी द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ मौके पर आ गए और पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से आरोपी द्वारा तमंचे से फायर किया गया, वादी के सिर पर वार कर चोट पहुंचाई गई तथा सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109(1)/3 (5)/115(2) 1352/351 (3) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 महेश यादव, रि0का0 आशुतोष सिंह, रि0का0 राजीव मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109 (1)/3 (5)/115(2) 1352/351 (3) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त 1. ईशू उर्फ मो० इस्लाम पुत्र साहबदीन नि०ग्रा० खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 2. मोबिन उर्फ पिल्लू पुत्र लाल मोहम्मद नि०ग्रा० खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लोनी नदी के पुल के वायें तरफ बने मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ईशू उर्फ मो० इस्लाम पुत्र साहबदीन नि०ग्रा० खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मोबिन उर्फ पिल्लू पुत्र लाल मोहम्मद नि०ग्रा० खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 महेश यादव, रि0का0 आशुतोष सिंह, रि0का0 राजीव मौर्या थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त लल्लू पटेल को किया गया गिरफ्तार,  
अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के पास पुल से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिन्हा प्रभारी चौकी शनिदेव धाम मय हमराह का0 विनय पटेल व का0 अनीश गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना देल्हूपुर से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त लल्लू पटेल पुत्र राजबहादुर निवासी सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के पास पुल से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लल्लू पटेल पुत्र राजबहादुर निवासी सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार सिन्हा प्रभारी चौकी शनिदेव धाम मय हमराह का0 विनय पटेल व का0 अनीश गुप्ता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़**

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना संग्रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा वांछित वारंटियों की धर-पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में-

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 गुरदीप सिंह मय हमराह का0 विजय चौहान व रि0का0 झब्बूलाल द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान एनबीडब्ल्यू संबंधित एनबीडब्ल्यू संबंधित क्रिमिनल केस न0 863/21 व

मु0अ0सं0 95/1996 धारा 323/324/504/506 भादवि से संबंधित 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों, 01. श्यामलाल पुत्र बुद्धीराम पटेल उम्र 55 वर्ष, 02. हीरालाल पुत्र बुद्धीराम पटेल उम्र 53 वर्ष निवासीगण चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 गुरदीप सिंह मय हमराह का0 विजय चौहान व रि0का0 झब्बूलाल द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान एनबीडब्ल्यू संबंधित एनबीडब्ल्यू संबंधित क्रिमिनल केस न0 863/21 व मु0अ0सं0 95/1996 धारा 323/324/504/506 भादवि से संबंधित 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों, 01. श्यामलाल पुत्र बुद्धीराम पटेल उम्र 55 वर्ष, 02. हीरालाल पुत्र बुद्धीराम पटेल उम्र 53 वर्ष निवासीगण चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 मनोज जायसवाल मय हमराह रि0का0 प्रिन्स सिंह व रि0का0 सूरज मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान एनबीडब्ल्यू संबंधित शेशन ट्रायल न0 869/26 व मु0अ0सं0 127/2018 धारा 307/504/506 भादवि से संबंधित दो नफर वारण्टी अभियुक्तों, 01. नत्थू शुक्ला उर्फ आशुतोष शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ उम्र 45 वर्ष निवासी शुक्लन का पुरवा नौढिया थाना संग्रामगढ़, 02. दीपक सरोज पुत्र रामसेवक सरोज उम्र 30 वर्ष निवासी अरों थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 मुसाफिर यादव मय हमराह का0 आनन्द यादव व का0 साजन पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान एनबीडब्ल्यू संबंधित शेशन ट्रायल न0 233/21 व मु0अ0सं0 38/2002 धारा 323/504 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र मक्खनलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मुर्तजापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. श्यामलाल पुत्र बुद्धीराम पटेल निवासी चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
- 02 . हीरालाल पुत्र बुद्धीराम पटेल निवासी चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
03. श्यामलाल पुत्र बुद्धीराम पटेल निवासी चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
04. हीरालाल पुत्र बुद्धीराम पटेल निवासी चकेढी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
05. नत्थू शुक्ला उर्फ आशुतोष शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ निवासी शुक्लन का पुरवा नौढिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
06. दीपक सरोज पुत्र रामसेवक सरोज निवासी अरों थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
07. प्रेमचन्द्र पुत्र मक्खनलाल निवासी मुर्तजापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा “दुष्कर्म व चोरी” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सदाशिव पटेल को गिरफ्तार किया गया, चोरी के 1800/- रुपये बरामद-

थाना मानिकपुर पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत भानापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम धरौली यादव पट्टी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार वह अपने परिवार के सदस्य के बाग की रखवाली का कार्य करती हैं। वादिनी का आरोप है कि दिनांक 15.06.2026 की रात्रि में बाग में मौजूद रहने के दौरान सदाशिव पटेल पुत्र सोनई पटेल, निवासी ग्राम छाताहार यादव पट्टी, थाना मानिकपुर, शराब के नशे में वहां आया और उसके साथ जबरदस्ती गलत कार्य किया। एवं उक्त व्यक्ति द्वारा ड्रम में रखे लगभग ₹3,000/- निकाल लिए गए तथा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में दिनांक 20.06.2026 को थाना मानिकपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 भीमराव, रि0का0 विनय कुमार व म0का0 रीतेश राणा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1)/305(1)/351(3) बीएनएस व 3(2)v/3(2)va SC/ST एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सदाशिव पटेल पुत्र सोनई पटेल नि0 छाताहार यादव पट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष क्षेत्रान्तर्गत भानापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 1800/- रुपये बरामद किए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 15.06.2026 की शाम को मैं शराब आम की बगिया में गया वहाँ पर वादिनी आम की बगिया की रखवाली के लिये तम्बू बनाकर अकेले रहती है मौके पर वहाँ और कोई नहीं था, मैंने वादिनी के साथ शराब के नशे में गलत कार्य किया, उसके बाद मैंने उससे कहा कि इसके बारे में अगर अपने लडके से बताओगी तो जान से मार दूँगा तथा वहीं पर वादिनी का ड्रम रखा था जिसमें मैंने उसमें देखा तो उसमें 3000 रुपये पड़े थे जिसको मैं चुरा कर वहाँ से भाग गया जिसके बाद मैं अपने घर चला गया। चुराये हुए रुपयों में से मैंने 1200 रुपये खर्च कर डाले हैं तथा शेष बचे 1800 रुपये मैंने किराये व अन्य खर्च के लिये रखे थे। दिनांक 20.06.26 को मुझको जानकारी हुई कि वादिनी ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है तब मैं आज भाग रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सदाशिव पटेल पुत्र सोनई पटेल नि0 छाताहार यादव पट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 भीमराव, रि0का0 विनय कुमार व म0का0 रीतेश राणा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा “दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त राम लखन पटेल को गिरफ्तार किया गया-

थाना कुण्डा पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह मय चालक हरेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा- 65(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 (1) पाक्सो एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राम लखन पटेल पुत्र विन्देश्वरी पटेल निवासी ग्राम शाहजमालपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राम लखन पटेल पुत्र विन्देश्वरी पटेल निवासी ग्राम शाहजमालपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह मय चालक हरेन्द्र सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

## थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा वांछित वारंटियों की धर-पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- थाना कुण्डा के उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया:-

01. कमलेश पासी पुत्र स्व0 भगवानदीन निवासी ग्राम उगापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष ।  
संबंधित मामला: मु0अ0सं0 11/2009 धारा 323/325/504/506/308 भादवि मा0 न्यायालय NDPS स्पेशल कोर्ट प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह का0 विनोद कुमार थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।